

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 241/2024
जी.सी.एम.एस.संख्या :- 2024/380

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1.अशोककुमार पुत्र सोहनराज जाति खारवाल 2.मोहनराम पुत्र कानाराम जाति-भील,निवासी मंडापुरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.दीपचंद पुत्र सोहनराज 2.कमला पत्नि दताराम जाति खारवाल निवासी सिटी स्केयर होटल के पीछे बालोतरा 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

- श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण
- श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।
- विप्रार्थी संख्या 03 अनुपस्थित।

:आदेश :

दिनांक- 31/10/2024


- प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण 1.अशोककुमार पुत्र सोहनराज जाति खारवाल 2.मोहनराम पुत्र कानाराम जाति भील निवासी मंडापुरा तहसील पचपदरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1299/6453 व 652 मौजा मंडापुरा तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 649 व 650 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा मार्क ए से बी कायम करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।
- प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुआ। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री करणसिंह सोलंकी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा



निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात न्यायालय हाजा द्वारा प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य विकल्प रास्ता बाबत तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई, जो शामिल मिसल है।

3. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन-पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 649 व 650 भूमि में से चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं, प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 05.9.2024 अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो प्रार्थीगण को आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने के लिए सहमत है।
4. हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 649 व 650 में से 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए, जिसके अनुसार :-
 5. प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी खेत से मुख्य सड़क मार्ग पहुंचे हेतु खसरा संख्या 649 में से रकबा 6810 वर्गफीट व खसरा संख्या 650 में से 9540 वर्गफीट भूमि प्रस्तावित की गई।
 6. तत्पश्चात न्यायालय हाजा द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 05.09.2024 में अन्य वैकल्पिक रास्ता के संबध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण तहसीलदार पचपदरा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन रिपोर्ट तलब की गई, जो तहसीलदार पचपदरा द्वारा पत्रांक 1308/17.10.2025 को उपलब्ध करवाए गए।
 7. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251-क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं, जिसके अनुसार:-
 - i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और
 - ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-


 उपखण्ड अधिकारी
 (S.D.O.) बालोतरा



तो आदेश द्वारा आवेदक को अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये भूमि में से होकर और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को जो उस भूमि को धारित करता है, जितने से होकर पाइप लाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विघनान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। पत्रावली के संलग्न नौका रिपोर्ट दिनांक 17.10.2025 अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता की सुविधा उपलब्ध है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि प्रार्थीगण केवलमात्र अपनी सुविधा के लिए रास्ता की मांग कर रहा है, जो कि कानून में निहित प्रावधानों के तहत प्रार्थीगण को अपनी सुविधा के लिए रास्ता दिया नहीं जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थी यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि उसे रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है। साथ ही प्रार्थी यह भी साबित नहीं कर पाया है कि वैकल्पिक साधन का अभाव हो, क्योंकि प्रार्थीगण के लिए वैकल्पिक रास्ता नौके पर उपलब्ध है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश :-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।



(Signature) 31/10/2025
(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 31.10.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा